कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

श्यामदेव प्रसाद साहु **बनाम्** **खादिम अंसारी वगै0**

विविध वाद संख्या...07.........../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

10/10/22

आवेदिक श्यामदेव प्रसाद साहु पिता स्व0 किशुन दयाल साहु, साकिन-हेसला, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह द्वारा आवेदन देकर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-हेसला, खाता नं0-90/139, प्लॉट नं0-2145 हाल प्लॉट नं0-2145/2402, अंतर्गत कुल रकवा-37 डी0 भूमि रैयती खाते की है जो आवेदक को अलग-अलग केवाला से खरीदगी हासिल है तथा उक्त जमीन की अलग-अलग जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर में कायम है तथा मालगुजारी रसीद भी निर्गत होता चला आ रहा है, परन्तु उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के खादिम अंसारी वगै0 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर विवाद उत्पन्न किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि पर विविध वाद प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17/x/22 को रखे।

10/10/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/10/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 20.10.22 को रखें। [signature]	
20.10.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। विपक्षी के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल नहीं एवं दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अगली तिथि तक निश्चित रूप से जवाब एवं दस्तावेज दाखिल करें अन्यथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा। दिनांक 22.10.22 को उपस्थापित करें। [signature]	
22.10.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाई की सहमति दी गई, परन्तु पुनः समय की मांग की गई। जिसे आज तक के लिये स्वीकृत किया जाता है। अभिलेख दिनांक 27/x/22 को रखें। [signature]	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/10/22	अभिलेख। दिनांक 3.11.22 को रखें। उभय पक्ष वकालतन हाजिर।	
3.11.22	अभिलेख उपस्थापित। पीठासीन पदा० अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अभिलेख दिनांक 9.11.22 को रखें।	
9.11.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष लिखित अभिकथन एवं फर्द जवाब के साथ दस्तावेज दाखिल किया गया। सुनवाई हेतु दिनांक 12/11/22 को रखें। 9/11	
12/11/22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अभिलेख। दिनांक 16.11.22 को रखें।	
16/11/22	उभय पक्ष वकालतन हाजिर। उभय पक्ष को सुना। आदेशार्थ। 16/11	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.11.22	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक के अनुसार मौजा - हेसला, थाना - बगोदर में स्थित खाता - 90/139, प्लाट सं० - 2145/2402 रकबा 67 डी. बजरिये केवाला के माध्यम से आवेदक के पिता को हासिल है। प्रश्नगत भूमि का आपसी बँटवारा होने के पश्चात एक पटीदार विश्वेश्वर साहु द्वारा अन्य पटीदार की पत्नी के नाम जमीन का हस्तानान्तरण कर दिया गया। जी.टी. रोड के चौड़ीकरण के दौरान उक्त आधार पर जमीन अधिग्रहण कर प्रथम पक्ष को मुआवजा भी दिया गया। अधिग्रहण के पश्चात वर्तमान में प्रथम पक्ष के पास 37 डी. है जिस पर प्रथम पक्ष के द्वारा मकान निर्माण का कार्य	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य सुपर स्ट्रक्चर तक पूर्ण भी हो गया है, परन्तु द्वितीय पक्ष जबरन उक्त कार्य में बिना किसी कागजात एवं हक के व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। आगे आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी प्रथम पक्ष के पिता एवं पत्नी के नाम पर मालगुजारी रसीद भी निर्गत हो रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में लगान रसीद की छाया प्रति, विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं भूअर्जन द्वारा जमीन अधिग्रहण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा। द्वितीय पक्ष के अनुसार उनके दादा दरबारी मियाँ को एक किता जमीन खाता सं० - 90/32 प्लाट सं० - 2145, रकबा 1.25 एकड़ हुकुमनामा के जरिये राजा पदमा के द्वारा वर्ष 1938	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3 1	2	3
	में हासिल हुआ था। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वर्ष 1953 से दरबारी मियां के नाम से सरकारी रसीद कटती आ रही है। विपक्षी अचानक 7 अक्टूबर 2022 को बलपूर्वक उनके दखल कब्जा को बाधित करने हेतु जमीन पर चढ़ आये। साथ ही उनका आगे कहना है कि द्वितीय पक्षगण द्वारा स्वत्व वाद सं० 145/2022 माननीय सब जज गिरिडीह के न्यायालय में दर्ज किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दोनों पक्षों को देना न्यायोचित होगा। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसीद सं० — 133 48, 069873, 016832, 079720 ~~[illegible]~~ की छाया प्रति एवं स्वत्व वाद के plant की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं दस्तावेजों का अवलोकन	

[signature]

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

किया।

1. प्रथम पक्ष के द्वारा खाता - 90/139 की जमीन का दावा किया जा रहा है जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल राजस्व रसीद एवं अन्य कागजात खाता - 90/32 से सम्बन्धित है।

2. द्वितीय पक्ष द्वारा जो स्वत्व वाद दाखिल किया गया है वह खाता - 90/32 से सम्बन्धित है।

3. द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल हुकमनामा जिसके आधार पर दावा करते हैं में खाता - 90/32, प्लाट - 2145 अंकित है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों द्वारा दावा किये जा रहे भूमि का खाता, प्लाट अलग-अलग है। ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष के भूमि पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

LRDC

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.11.28 13:43:48 +05:30
Location: 192.168.1.9